

### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] No. 53] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2017/पौष 30, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2017/PAUSA 30, 1938

## वस्त्र मंत्रालय

(विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 60(अ).—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय में हथकरघा विकास आयुक्त के ज्येष्ठ निजी सिचव, भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया है, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय में निजी सिचव के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, निजी सचिव भर्ती नियम, 2017 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा,जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियक्ति का पात्र नहीं होगा:

355 GI/2017 (1)

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	वेतनमान (4)	(5)	(6)
निजी सचिव	01*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स	चयन	लागू नहीं होता
	(2017) * कार्यभार के	सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित,	में स्तर <b>7</b> (44900-		
	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अनुसचिवीय	142400 रु.)		

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नित :- वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हैं।  टिप्पण-1: ऐसे अधिकारी जो 1 जनवरी, 2006 को नियमित आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान 5500-9000 रु. में पद धारण किए हुए थे को उन व्यक्तियों जो पुनरीक्षित वेतनमान 5000-8000 रु. में पद धारण किए हुए थे, से समूहत: ज्येष्ठतम माना जाएगा।  टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली	(i) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. हथकरघा विकास आयुक्त- अध्यक्ष 2. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन भारसाधक) वस्त्र मंत्रालय-सदस्य 3. अपर/संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा)-सदस्य	C: 2

है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां
उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया
जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई
ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या
पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,
इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने
ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक
या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा
की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

[सं. 12018/1/2015-डीसीएच/स्था.-I] आलोक कुमार, हथकरघा विकास आयुक्त

#### MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Development Commissioner for Handlooms)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2017

- **G.S.R. 60(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, Senior Private Secretary to Development Commissioner Handlooms Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Office of the Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Textiles, namely: -
- **1. Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, Private Secretary, Recruitment Rules, 2017.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in the pay matrix or pay scale.—The number of post, its classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.—No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix or pay scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Private Secretary	01* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level 7 in the pay matrix (44900-142400).	Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	probation, if	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion:  Stenographer Grade-I in level 6 in the pay matrix (35400-112400) with five years' regular service in the grade.  Note 1: Officers who were holding the post in the pre-revised scale of Rs. 5500-9000 on regular basis on the 1 <sup>st</sup> January, 2006 shall be en-bloc senior to those who were holding posts in the pre-revised scale of Rs. 5000-8000.  Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering pro-motion) consisting of: -  1. Development Commissioner for Handlooms – Chairman 2. Director/Deputy Secretary (in charge of administration) Ministry of Textiles—Member 3. Additional/Joint Development Commissioner (Handlooms) – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[No. 12018/1/2015-DCH/Estt.-I]

ALOK KUMAR, Development Commissioner for Handlooms